न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 35/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00098)

1. जगदीश
2. जगन
3. रंगलाल
4. हरजी

पुत्रान छोटू जाति मीना निवासी थूमडी तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र बिरदया
2. उगन्ती पत्नि रामफूल
3. कजोड पुत्र चन्दा
4. घीस्या पुत्र शंकर
5. रामफूल पुत्र रामसहाय
6. श्रीकिशन पुत्र बिरदया

समस्त जाति मीना निवासी थूमडी तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।

7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगलराजावतान, जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 27.06.2018 जो मुकदमा नंबर 1139/2018 उनवानी गंगासहाय बनाम सरकार धारा 128 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 01.10.2019 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2, 4, 5, 6 व अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम थूमडी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के रहने वाले है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर है जिसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जाती है। ग्राम थूमडी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 920 रकबा 2.92 है0, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 918 रकबा 1.65 है0, खसरा नम्बर 919 रकबा 1.21 है0, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.19 है0 कुल किता 6 स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। इस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण के अलावा उक्त भूमि का खातेदार हरबक्स पुत्र श्योनारायण है जो लगभग 50 वर्ष पूर्व दिल्ली गया था जहां से वह आज वापिस नहीं आया है और आज भी उसके बारे में जानकारी नही है कि वह कहां पर है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते है और प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली जानवारों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ जब भी लगाते है तो पडौसी खातेदारान उसको तोड देते है जिससे प्रार्थीगण की भूमि की फसल को आवारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जानवर नष्ट कर देते है जिससे प्रार्थीगण को भारी नुकसान होता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे व प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो एवं विवाद खत्म हो सके इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर श्रीमान न्यायालय के माध्यम से सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रह कर काश्त कर रहे है। परन्तु अन्य पडौसी खातेदारों द्वारा बिना वजह प्रार्थीगण को हैरान व परेशान किया जा रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराये जाने हेतु उचित समय है क्योंकि इस समय खेत खाली पडे हुए है। सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने में किसी प्रकार की बाधा अथवा अडचन भी किसी भी प्रकार से नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान भी हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 920 रकबा 2.92 है0, खसंरा नम्बर 897 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 918 रकबा 1.65 है0, खसरा नम्बर 919 रकबा 1.21 है0, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.19 है0 कुल किता 6 स्थित वाके ग्राम थूमडी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5, 6 व अन्य का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को निर्देशित किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 920, 897, 917, 918, 919 896 किता–6 वाके ग्राम थूमडी तहसील नांगल राजावतान की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु अनुभवी पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षकों की टीम गठित कर, पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र छोटू वगैरह ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा दिनांक 27.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट पडोंसी काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु 3 माह पूर्व से आदेश करवा रखा है किन्तु अपीलान्ट की भूमि का तो सीमाज्ञान कर नही रहे है तथा विधिविरूद्ध तरीके से पारित आदेश की पालना करने को आमादा हो रहे है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जब यह आदेश दिया है कि पडोसी खातेदारान की उपस्थिती मे पत्थरगढी करवाये तो अधीनस्थ न्यायालय को पडोसी खातेदारान को पक्षकारान बनाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पडोसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट अपनी भूमि पर मौके पर काबिज है उक्त पत्थरगढी की आड मे रेस्पोडेन्ट गलत आधारो पर पत्थरगढी करवाकर अपीलान्ट को बेदखल करवाना चाहते है। कानूनन पत्थरगढी जिन दो काश्तकारों के मध्य की सीमा है उन्हे पक्षकार बनाये बिना नही करवायी जा सकती है और ना ही आदेश दिया जा सकता है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश देकर कानूनी गलती की है। जिस भूमि की पत्थरगढी का आदेश करवाया गया है उक्त भूमि का खातेदार हरबक्स पुत्र श्योनारायण का कोई अता पता नही है और ना ही उसके वारिसान का अता पता है उक्त हरबक्स के या तो फर्जी हस्ताक्षर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये है या उसे बिना पक्षकार बनाये बिना आर्डर करवाया गया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

भूमि खसरा नंबर 927, 928, 921, 916 वाके ग्राम थूमडी तहसील दौसा के अपीलान्ठ खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा उक्त भूमि का अपीलान्ट ने सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जी ने अपने पत्र कमांक एल आर 1372–75 दिनांक 27.06.2019 के जरिये भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का थूमडी को आदेश दिया तथा पटवारी हल्का धरणवास को मूल ही भेजकर लिखा कि किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो राजकीय शुल्क वसूलकर सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। करीब 3 माह से भी अधिक का समय निकल जाने के बाद भी पटवारी हल्का ने प्रार्थी अपीलान्ट की उक्त भूमि का कोई सीमाज्ञान नही किया और आज तक भी सीमाज्ञान नही कर रहे है। रेस्पो नंबर 1 लगा० 6 ने बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना भूमि खसरा नंबर 920, 897, 917, 918, 919, 920, 827 वाके ग्राम थूमडी बाबत पत्थरगढी करने हेतु उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बिना कोई जॉच किये बिना व बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व बिना पडोसी खोतेदार को सुनवायी व साक्ष्य का अवसर दिये बिना दिनांक 27.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 में उक्त भूमि की पत्थरगडी अनुभवी पटवारी भू अभिलेख की टीम गठित कर पडोसी खातेदार की उपस्थिती में पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार नांगलराजावतान को दे दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी। अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार है और उक्त आदेश की श्रीमान के समक्ष अपील पेश करना चाहते है जिसकी श्रीमान के द्वारा इजाजत दिया जाना न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागलराजावतान के निर्णय दिनांक 27.06.2018 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी। दिनांक 25.09.2019 को अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से कहा कि हमारी भूमि खसरा नंबर 916 927, 928 का सीमाज्ञान करने का आदेश हुए तीन माह से भी अधिक समय हो गया है आप सीमाज्ञान करो तो पटवारी हल्का ने धमकी दी कि मै तो सीमाज्ञान नही करूगा क्योंकि तुम्हारा आदेश तो धरणवास पटवारी के नाम आया है मेरे पास तो गंगासहाय वगैराह की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश आया है जो आदेश एस डी ओ ने दिनांक 27.06.2018 को दिया है इसलिये मै तो उक्त आदेश की पालना मे मौके पर पत्थरगढी करवाउगा तो अपीलान्ट ने पटवारी से कहा कि तुम मेरे सीमाज्ञान हुए बिना पत्थरगढी कैसे कर सकते हो तो उसने धमकी दी कि मेरे उपर तो तहसीलदार का दबाव है इसलिये मै तो पत्थरगढी करूगा रोकना है तो कोर्ट से आदेश लाओ तो प्रार्थी दिनांक 25.09.2019 को ही तहसीलदार जी से मिला तो उन्होने यह कहा कि हम तो पुलिस की मदद स पत्थरगढी करेगे और प्रार्थी के सीमाज्ञान करने से इंकार कर दिया तो प्रार्थीगण ने उक्त पत्थरगढी के आदेश दिनांक 27.06.2018 बाबत तलाश कर उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान के यहाँ दिनांक 27.09.2019 को नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर 27.09.2019 को मिली दिनांक 28.09.2019 एवं 29.09.2019 को अवकाश होने के कारण आज वकील नियुक्त कर ओर अपील तैयार करवाकर श्रीमान के समक्ष पेश है जो जानकारी से अन्दर मयाद हैं। वैसे भी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है ऐसे आदेश की अपील करने की कोई मियाद भी नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। उक्त कारण वश अपील पेश करने में देरी हुई है जिसे क्षमा फरमाया जाकर अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेंश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 27.06.2018 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागलराजावतान के निर्णय दिनांक 27.06.2018 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 27.09.2019 को नकल हेतु आवेदन पेश करना तथा दिनांक 27.09.2019 को नकल प्राप्त होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है। अपीलार्थी प्रकरण में प्रभावित खातेदार है जिसे सुना जाना आवश्यक था। न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्पष्ट सीमाज्ञान/मौका रिपोर्ट उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट महज औपचारिकता प्रतीत होती है। जिससे सम्बन्धित खातेदारों/प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति न दर्शा कर मात्र उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागंल राजावतान, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर